कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-शिवपुरी (म0प्र0)

शिवपुरी, दिनांक 7/3 /2019

//निविदा विज्ञप्ति//

जिला शिवपुरी की नवीनीकरण से शेष रही देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का लॉटरी के माध्यम से निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2019-20 के लिये अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये प्राप्त निर्देशों एवं प्रक्रिया के अधीन नवीनीकरण आवेदन पत्र रहित शिवपुरी जिले के 07 समूह (20 देशी मदिरा एवं 06 विदेशी मदिरा) का निष्पादन सभी पात्र आवेदको से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिनांक 19.03.2019 को समय 03.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर सभाकक्ष, शिवपुरी में निम्न तालिका अनुसार की जायेगी।

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय से दिनांक 12 मार्च 2019 को समय प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 05.30 बजे तक।
2	नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय मे दिनांक 12 मार्च 2019 को समय प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 17 मार्च 2019 को सायंकाल 06.00 बजे तक।
3	नवीनीकरण के आवेदन पत्र सहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय मे दिनांक 18 मार्च 2019 को समय प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 19 मार्च 2019 को दोपहर 02.30 बजे तक।
4	इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने की तिथियां एवं समय	जिला कार्यालय मे दिनांक 18 मार्च 2019 को समय प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 19 मार्च 2019 को दोपहर 02.30 बजे तक। टीप - लॉटरी आवेदन पत्र पूर्ण होने तथा वांछित अभिलेख संलग्न करने पर ही जमा किये जायेंगे। अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नही किये जायेंगे।
5	नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने एवं निराकरण किये जाने की तिथियां एवं समय-	दिनांक 19 मार्च 2019 को समय 03:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

निरंतर..........2